



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4764 वर्ष 2026

सुनील कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मधुकर भारती, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, जगदीश प्रसाद यादव

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य द्वारा दाखिल अनुपालन शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद यादव ने न्यायालय को अवगत कराया कि यद्यपि उन्होंने दिनांक 20.06.2026 को प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया था, तथापि उनका नाम वाद सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार द्विवेदी को सुना गया।
4. वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, भदोही, ज्ञानपुर द्वारा पारित दिनांक 17.04.2026 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निरस्त किया जाए तथा अपीलकर्ता को मुकदमा अपराध संख्या 47 वर्ष 1997, धारा 323, 436, 429 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के अन्तर्गत अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि तात्कालिक अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 17.04.2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
6. उनका अगला कथन है कि वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.02.1997 को इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार के साथ मिलकर सूचनाकर्ता की आवासीय झोपड़ी में आग लगा दी थी, किन्तु अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य थे, इसलिए विवेचना के उपरान्त दिनांक 30.12.1998 को अंतिम आख्या प्रेषित की गई, किन्तु अंतिम आख्या के विरुद्ध जब सूचनाकर्ता अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या-2 ने विरोध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, तब न्यायालय सम्बन्धित ने उस विरोध प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में ग्रहण किया तथा दिनांक 31.10.2003 को अपीलकर्ता को तलब किया।
7. उनका यह भी कथन है कि जब अपीलकर्ता को तलबी आदेश की जानकारी हुई, तब उसने उक्त तलबी आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2238 वर्ष 2005 के माध्यम से चुनौती दी तथा इस न्यायालय ने दिनांक 03.03.2005 को प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही पर स्थगनादेश प्रदान किया, किन्तु उसकी याचिका के लम्बित रहने के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्रा. लि. बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, (2018) 16 एससीसी 299** में पारित निर्णय के आधार पर दिनांक 28.08.2023 को अपीलकर्ता के विरुद्ध परवाना जारी कर दिए गए।
8. उनका अगला कथन है कि यद्यपि दिनांक 28.08.2023 को अपीलकर्ता के विरुद्ध परवाना जारी किए गए थे, किन्तु परवाना कभी भी उस पर तामील नहीं किए गए तथा जब वर्ष 2026 में अपीलकर्ता को इस तथ्य की जानकारी हुई, तब उसने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु उसका अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 17.04.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।
9. उनका यह भी कथन है कि दिनांक 17.04.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध है, क्योंकि दो दशकों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात अपीलकर्ता को कारागार भेजे जाने का कोई अवसर नहीं है। उनका आगे कथन है कि एशियन रिसर्फेसिंग (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को भी वर्ष 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



संविधान पीठ द्वारा गलत घोषित कर दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि संविधान पीठ के निर्णय एवं आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अब अपीलकर्ता को कारागार भेजे जाने का कोई अवसर नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. उनका यह भी कथन है कि यद्यपि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से सम्बन्धित मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जानी चाहिए, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2020) 4 एससीसी 727** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि यदि प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से सम्बन्धित मामलों में भी अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

11. उनका यह भी कथन है कि वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्राथमिकी से यह परिलक्षित नहीं होता है कि कथित अपराध प्रत्यर्थी संख्या-2 के अनुसूचित जाति समुदाय से सम्बन्धित होने के कारण किया गया था और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पृथ्वी राज चौहान** (उपरोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

12. उनका यह भी कथन है कि अतः दिनांक 17.04.2026 के आक्षेपित आदेश को निरस्त करने के उपरान्त अपीलकर्ता को विचारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाए।

13. प्रतिवाद में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आधारित तर्क का खण्डन नहीं कर सके।

14. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. वर्तमान प्रकरण का इतिहास उतार-चढ़ावपूर्ण रहा है। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी वर्ष 1997 में दर्ज की गई थी और तत्पश्चात विवेचना के उपरान्त जब अंतिम आख्या प्रेषित की गई, तब प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत विरोध प्रार्थना-पत्र पर अपीलकर्ता को वर्ष 2003 में तलब किया गया, किन्तु जब अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तलबी आदेश को चुनौती दी, तब इस न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पर स्थगन प्रदान कर दिया गया, किन्तु यह परिलक्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एशियन रिसर्फेसिंग (उपरोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत विचारण न्यायालय ने अगस्त, 2023 में अपीलकर्ता के विरुद्ध परवाना जारी कर दिए तथा जब अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, तब न्यायालय सम्बन्धित द्वारा दिनांक 17.04.2026 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उसका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

16. वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी वर्ष 1997 की होने तथा अपीलकर्ता को लगभग ढाई दशक से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं किए जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के विचार में अब उसे कारागार भेजे जाने का कोई अवसर नहीं है और अतः इस न्यायालय के सुविचारित मत में न्यायालय सम्बन्धित द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए पारित दिनांक 17.04.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध है।

17. आगे, यद्यपि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर रोक लगाती है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पृथ्वी राज चौहान (उपरोक्त)** के प्रकरण में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि यदि प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है, तो अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

18. आगे, पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन एवं अन्य, 2025 आईएनएससी 1067** के प्रकरण में उपर्युक्त विधि की स्थिति को दोहराया है। अतः यदि प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता है, तो अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

19. वर्तमान प्रकरण में, प्राथमिकी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित नहीं होता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 के अनुसूचित जाति समुदाय से सम्बन्धित होने के कारण कथित अपराध *अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



किया गया था और इसलिए इस न्यायालय के विचार में प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम से सम्बन्धित अपराध नहीं बनता है तथा इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है। यह परिलक्षित होता है कि आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त करते समय न्यायालय सम्बन्धित द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया और इसलिए न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पुनः अवैधता की गई है।

20. तदनुसार, न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 17.04.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता को विचारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

21. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

22. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित अपीलकर्ता- **सुनील कुमार** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक जमानत पर रिहा किया जाएगा, इस शर्त के साथ कि वह सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) कि अपीलकर्ता प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) कि अपीलकर्ता न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iii) कि अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iv) कि अपीलकर्ता अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं डालेगा/धमकाएगा;

(v) कि अपीलकर्ता प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, न्यायालय सम्बन्धित को अपीलकर्ता को प्रदान की गई जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

22 जून, 2026

ए.के. पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।